संख्याः 446/X-3-26/01(312)/2016-E-86416

प्रेषक,

कल्याणी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन अनुभाग–03 देहरादूनः दिनांक– 20 मार्च, 2026

विषयः जनपद बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुरूतुड़डिया के पास ओलिंग होते हुये भैरू, ओखलाधार तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक महानिरीक्षक, वन (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक–09.02.2026 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव (संख्या–FP/UK/ROAD/20227/2016) पर भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उपरोक्त विधिवत स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति प्रदान करते है।

3– अतः उपरोक्त विधिवत स्वीकृति दिनांक–09.02.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं इस संबध में नियमों/विनियमों/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के तहत नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीया,

Digitally signed by
Kalyani
Date: 20-03-2026
17:13:10

(कल्याणी)
अपर सचिव।

संख्याः 446 (1)/X-3-26/01(312)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सहायक महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को उनके उक्त पत्र दिनांक 09.02.2026 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांयू वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(कल्याणी)
अपर सचिव

1(312)/2016

446/X-3/26

41880

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

Secy, Forest

पत्र सं0 8 बी/यू०सी०पी०/06/70/2025/एफ०सी **दिनांकः** As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख सचिव
पत्र संख्या 874/2026
दिनांक 11/12/2026

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव
वन पर्यावरण संरक्षण एवं
जलवायु परिवर्तन
उत्तराखण्ड
11/2/26

विषयः बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुरुतुङडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलाधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/20227/2016).

सन्दर्भः कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 2166/12-1 : **देहारादून: दिनांक**:28.02.2025 **(compliance report of Stage-I approval).**

741
13/2/26

AS(F-3)

13.02.2026
(सी0 रविशंकर)
सचिव वन
उत्तराखण्ड शासन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 28.02.2025 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, **1980** के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में उत्तराखंड शासन के पत्र दिनांक 16.09.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुरुतुङडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलाधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन को **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

JS(F/A)

479/AS(Env)126
12/02/26

SO.F3

3. ***This approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025.***

4. **प्रतिपूरक वनीकरण :** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.36 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम गासोन पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

5. **राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यथासंभव बॉज वृक्षों का वृक्षारोपण भी प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत किया जायेगा।**

6. "Non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department, but still not notified as PF. Therefore, State Government shall ensure that non-forest land proposed for CA shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 before handing over of forest land to the User Agency by the State Government, and Nodal Officer shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal."

7. प्रस्ताव हेतु कैम्पा कोष में कुल जमा की गई राशियों का विवावरण :

क्रम सं.	मद	कुल जमा राशि (रु. में)
1	क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	18,07,306
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	26,93,963
3	Vacant space Plantation	30,33,426

8. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।

9. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा

10. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में **96 वृक्षों** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

11. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेंगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

12. State government shall ensure that road cutting shall be done as per the KML file submitted only, otherwise deviation will attract the provision of violation under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam,1980.

13. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird’s nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human

settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.

14. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.

15. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

16. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

17. संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

20. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

22. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

23. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।

24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

25. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

26. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

27. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

28. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

29. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

30. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 09-02-2026
15:47:21

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. The CEO, CAMPA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पॉर्शन), सूप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, उत्तराखंड।
5. अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।
6. आदेश पत्रावली।